झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 28.02.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0**	"राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्र महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त करने के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध कराए जाते है, परन्तु राज्य अन्तर्गत 24 जिले के 38481 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माह जुलाई, 2022 से पोषाहार की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण 03 से 06 वर्ष के 15.21 लाख बच्चों सहित गर्भवती महिलाएँ कुपोषण की समस्या से जूझ रही है। वर्णित आंगनबाड़ी केन्द्रों में जबकि दिसम्बर- 2022 तक वहाँ प्रतिनियुक्ति सहायिकाओं द्वारा स्थानीय बाजार से उधार लेकर आंगनबाड़ी केन्द्र को येनकेन प्रकारेण चलाया गया, जिससे उनके समक्ष भी समस्याएँ उत्पन्न हो चुँकी है। स्थानीय स्तर पर दुकानदारों द्वारा दी गई राशन के बदले में उन सहायिकाओं से राशि की माँग की जा रही है। 07 माह से आंगनबाड़ी केन्द्रों को पोषाहार के करीब 32 करोड़ रूपये देना राज्य सरकार को देना अत्यन्त जरुरी है। राज्य सरकार इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में अविलम्ब पोषाहार-	**महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा**

01.	02.	03.	04.
		की राशि उपलब्ध कराए, ताकि राज्य में कुपोषण मुक्त समाज की स्थापना हो सके''। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित मामले में राज्यन्तर्गत 15.21 लाख बच्चे-बच्चियाँ सहित गर्भवती महिलाओं को पोषाहार पूरक के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से राशि अविलम्ब उपलब्ध कराकर कुपोषण मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्रवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करें, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
02-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	विदित है कि झारखण्ड राज्य में 23 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत है, जिनका कार्य कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए स्थानीय जरूरतों एवं किसानों की माँग के अनुसार सभी तकनीकी जानकारी यथा कृषि/पशुपालन/मछली पालन एवं महिलाओं के लिए आय प्रवृत तकनीक के प्रसार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि बेंगावाद टोपैया (गिरिडीह) में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र पूर्णतः निष्क्रिय है। स्थानीय किसानों एवं महिलाओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है न ही किसानों को अद्यतन तकनीकी जानकारी दी जाती है। उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र में श्री आदेश श्रीवास्तव वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान के अलावा पाँच अन्य वैज्ञानिक/कर्मचारी पदस्थापित है, परन्तु कोई भी वैज्ञानिक/कर्मचारी प्रतिदिन उपलब्ध नहीं रहते है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र को 01 करोड़ 16 लाख रूपये का आवंटन दिया गया है, परन्तु आजतक स्थानीय किसानों को कृषि से संबंधित कोई भी अद्यतन तकनीकी जानकारी नहीं दी गयी न ही कोई कार्य धरातल पर दिखाई देता है। अतः वर्णित मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानआकृष्ट करता हूँ।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
03–	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	**"राज्य में हजारों कर्मी वर्षो से अनुबंध के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण बिजली एवं अन्य विभागों में काफी कम मानदेय पर अपनी सेवाये दे रहे हैं। उन्हीं विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मियों को अनुबंध कर्मियों के अपेक्षा 5 गुणा से ज्यादा वेतन एवं अन्य सुविधायें मिल रही है और इससे भी अधिक शोषण बाहय एजेन्सियों के द्वारा विभिन्न विभागों के विभिन्न कामों में लगाये गये कर्मियों का हो रहा है। कई पुख्ता जानकारियाँ सार्वजनिक हुई है कि अनुबंध कर्मियों को काम पर लगाने में बाहय एजेन्सियों द्वारा कर्मियों के चयन में मोटी राशि की उगाही होती है** जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि **"समान सेवा के लिए समान सुविधायें देय होगी"।** वर्षो से अनुबंध कर्मी स्थायीकरण की मांग करते आ रहे हैं ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो और राज्य को बेहतर सेवा दे सकें एवं शोषण से मुक्ति हो सके। अतः उपरोक्त महत्त्वपर्ण विषयों पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
04–	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0	धनबाद जिलान्तर्गत तोपचांची प्रखण्ड के प्राकृतिक पहाड़ी नालाओं से निकल कर कतरी नदी का रूप लेती है, जो राजगंग, कतरास, भेलाटांड होते हुए भटिंडा फॉल के समीप दामोदर नदी से जाकर मिलती है। कतरी नदी को धनबाद जिला धरोहर माना जाता है। उक्त नदी में आस्था से जुड़ा कई पर्व एवं तट के किनारे कई प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है, जिसमें हजारों लोग स्नान कर पूजा–पाठ करते है साथ ही कमजोर वर्ग के लोग स्नान एवं कपड़ा सफाई का कार्य करके अपना जीवन यापन करते है, जिसे कोल कंपनियों द्वारा जगह–जगह इनके बहाव मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण कर नदी	जल संसाधन

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		को संकीर्ण करता जा रहा है तथा कॉलोनियों की गन्दी नालियों का पानी नदी में बहा दिया जा रहा है, जिससे कतरी नदी में पानी बहाव की कमी एवं जल दूषित होता जा रहा है। जो गंभीर महामारी का कारण बन सकता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि तोपचांची से भटिंडा फॉल तक कतरी नदी को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त कराया जाने सम्बंधित कार्रवाई की जाए।	
05-	श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0	संविधान की धारा 16 (4) (B) के तहत् अगर किसी वर्ष- ST/SC का आरक्षण कोटा नहीं भरता है तो अगले साल की नियुक्ति में Backlog ST/SC भरा जाएगा और अगले साल की नियुक्ति में अगर ST/SC के लिय 50 प्रतिशत से ज्यादा भी हो जाता है तो नियुक्ति अनिवार्य रूप में करना पड़ेगा तथा इसमें 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा लागू नहीं होगा। किसी विभाग में पूर्ण नहीं है योग्य नही है, कहकर ST/SC का पद खाली/रिक्त छोड़ा नहीं जा सकता। परन्तु देखी जा रही है कि Backlog नियुक्ति नहीं कर धीरे-धीरे Backdoor से दूसरों को भर दिया जा रहा है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। अतः मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर अबतक किन कारणों से Backlog नियुक्ति नहीं भरी गई है, की संज्ञान लेकर पदों को भरने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 28 फरवरी, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2023–...660.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 27/02/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग एवं सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनूप कुमार लाल) 27/02/2023
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2023–...660.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 27/02/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/2023
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/– 27/02/23